

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 03 अगस्त, 2022

संख्या-3/प्रोन्नति-02-02/2020 का. 4873/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, राँची के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-06/एस.-06 (प्रो0)-03/2009-2981 दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 02.11.2021 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा एवं अर्हता पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप स्तंभ 4 में उल्लेखित तिथि/वेतनमान एवं ग्रेड पे में तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	योगदान की तिथि	वेतनमान पी० बी०- III रु० 37400-67000/- ग्रेड पे रु० 8700/- में तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1	श्री सत्येन्द्र तिवारी 316/03 (सेवानिवृत्त)	23.11.1981	23.11.2011
2	श्री गोपीनन्दन प्रसाद 389/03 (सेवानिवृत्त)	27.08.1984	01.07.2017
3	श्री राम शंकर राय 390/03 (सेवानिवृत्त)	27.08.1984	27.08.2014
4	श्रीमती उषा किरण बाखला, 502/03 (सेवानिवृत्त)	19.09.1988	19.09.2018

2. यह वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है और निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है :-

I- यह योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।

II- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

III- उक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ब्रह्मदेव मोदी)

सरकार के अवर सचिव।

राँची, दिनांक 03 अगस्त, 2022

ज्ञापांक- 3/प्रोन्नति-02-02/2020 का. 4873/
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

राँची, दिनांक 03 अगस्त, 2022

ज्ञापांक- 3/प्रोन्नति-02-02/2020 का. 4873/
प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आत सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।